

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 14.01.26

क्रमांक रीडर/2026/86

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 जेठमालसिंह पुत्र खेतसिंह जाति
रावणा राजपूत निवासी सरणू भीमजी
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

1 सुजानसिंह पुत्र खेतसिंह 2 अभयसिंह 3 जयसिंह
पिसरान हमीरसिंह 4 तेजसिंह 5 पदमसिंह 6
सुजानसिंह पिसरान भंवरसिंह 7 समदकंवर पत्नि
भंवरसिंह 8 गजेसिंह 9 गोरधनसिंह 10 मोहनसिंह
11 रामसिंह पिसरान फुसाडसिंह 12 दीपसिंह 13
सरूपसिंह पिसरान सांगसिंह 14 मेघराजसिंह पुत्र
खेतसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासी सरणू
भीमजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-892/2025 दिनांक- 09/01/2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरणू भीमजी पटवार हल्का सरणू तहसील बाड़मेर ग्रामीण के
खसरा संख्या 739/471 रकबा 0.1484 हैक्टेयर, व खसरा संख्या 742/499 रकबा 1.2518 हैक्टेयर,
भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण
को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 14.01.26

क्रमांक :- रीडर/2026/87-90

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य
अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जेठमालसिंह पुत्र खेतसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सरणू भीमजी तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण सुजानसिंह पुत्र खेतसिंह वगैराह जातियान रावणा राजपूत निवासी सरणू भीमजी
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर